Ombudsman

Fairness for all

लोकपाल (ऑम्बड्समैन): हम कौन हैं

लोकपाल न्यूजीलैण्ड सरकार की एजेंसियों से अपने व्यवहार में, समुदायों का ध्यान रखता है।

हम जनता की षिकायतों के निबटान करते हैं तथा उनकी ओर से जांच, लेखापरीक्षाएं, और निरीक्षण करते हैं। हम एजेंसियों को प्रतिक्रियाएं/सुझाव देकर अच्छे प्रषासन को भी प्रोत्साहित करते हैं तथा आवष्यकता अनुभव किए जाने पर अपनी ओर से जांच भी करते हैं।

लोकपाल एक 'संसदीय अधिकारी' है, जिसका अर्थ है कि हमें संसद ने नियुक्त किया है और प्रचलित सरकार से हम स्वतंत्र हैं।

एक ही समय में एक से अधिक लोकपाल हो सकते हैं। प्रत्येक लोकपाल की षक्तियां व कार्य समान होते हैं।

हम क्या करते हैं: लोकपाल की भूमिका

राज्य सेक्टर के प्रषासन की जांच करना

लोकपाल, ऐसे लोगों की षिकायतों का निबटान करता है जो अनुभव करते हैं कि राज्य सेक्टर की किसी एजेंसी द्वारा उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया है। लोकपाल, षिकायत प्राप्त किए बिना भी राज्य सेक्टर की एजेंसियों के आचरण की जांच कर सकते हैं।

आधिकारिक सूचना के अनुरोधों पर निर्णयों की जांच और समीक्षा करना

लोकपाल ऐसे लोगों की षिकायतों की जांच करता है जो आधिकारिक सूचना हेतु उनके अनुरोध पर किसी सरकारी मंत्री या राज्य सेक्टर एजेंसी द्वारा की गई कार्यवाही से असंतुष्ट हैं।

'गंभीर कृत्यों' के बारे में सलाह और मार्गदर्षन

लोकपाल ऐसे कर्मचारियों को सलाह और मार्गदर्षन प्रदान करता हैं जो अपने संगठन में या संगठन द्वारा किए जा रहे किसी गंभीर कृत्य के बारे में संरक्षित प्रकटीकरण (सतर्कता–सूचना) करना चाहते हैं।

निरोधक स्थलों की निगरानी

लोकपाल, निरोधक स्थलों के दौरे (विजिट) करता है जिनमें कारागार एवं न्यायालयी प्रकोश्ठ, आप्रवासन निरोधक सुविधाएं, निरूद्धता के स्वास्थ्य एवं अक्षमता स्थल, बाल कल्याण एवं संरक्षण तथा युवा न्याय आवास सम्मिलित हैं। निरोधक स्थलों की दषाओं, तथा निरूद्ध लोगों के साथ व्यवहार में सुधार करने के लिए लोकपाल सिफारिषें करता है।

अक्षमता संधिपत्र

लोकपाल, संयुक्त राश्ट्र अक्षमता संधिपत्र के क्रियान्वयन की निगरानी करने वाली तीन स्वतंत्र प्रणालियों में से एक है। अन्य प्रणालियों में न्यूजीलैण्ड संधिपत्र सम्मिलन तथा मानव अधिकार आयोग हैं।

अन्य भूमिकाएं

लोकपाल, विधायन, नीतियों तथा प्रक्रियाओं के बारे में परामर्ष देता है और राज्य सेक्टर की एजेंसियों हेतु प्रषिक्षण प्रस्तावित करता है।

हम व्यक्तियों व समुदायों के सहयोग से लोकपाल तथा इसके कार्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक पहुंच वाले कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

राज्य सेक्टर क्या है?

राज्य सेक्टर में लगभग 4000 संस्थाएं सम्मिलित हैं जिनमें सरकारी विभाग और मंत्रालय, स्थानीय प्राधिकरण, षाही संस्थाएं, राज्य अधिकृत उद्यम, जिला स्वास्थ्य बोर्ड, तृतीयक षिक्षा संस्थान, न्यासियों के स्कूल बोर्ड तथा सरकारी मंत्री (आधिकारिक सूचना हेतु अनुरोधों पर उनके निर्णयों के संदर्भ में) षामिल हैं।

हमसे बात करें

यदि लोकपाल के कार्यों, तथा क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं, इस बारे में आप अधिक जानने के लिए हमारे किसी कर्मचारी से बात करना चाहते हैं, तो पीछे दिए गए हमारे संपर्क विवरण देखें।

लोकपाल (ऑम्बड्समैन) से संपर्क करें

मुफ्त फोन: 0800 802 602

www.ombudsman.parliament.nz

ईमेलरू
info@ombudsman.parliament.nz

डाक पतारू
PO Box 10152, Wellington 6143

फैक्सरू
(04) 471 2254

कार्यालय पूछताछरू
8:30 बजे सुबह से 5:00 बजे षाम तक सोमवार से षुक्रवार

वेलिंगटन
लेवल 14, 70 दि टैरेस, वेलिंगटन, 6143

ऑकलैण्ड
लेवल 10, 55-65 षार्टलैण्ड स्ट्रीट, ऑकलैण्ड 1010

क्रॉइस्टचर्च
545 वाइराकेई रोड, हेयरवुड, क्रॉइस्टचर्च 8053